लोक-सभा वाद-विवाद

संदिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF 4th

LOK SABHA DEBATES

तीसरा सत्र Third Session





[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय नई दिल्ली LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25, ज्ञानिवार, 16 दिसम्बर, 1967/25 अग्रहायण, 1889 (ज्ञक) No. 25, Saturday, December 16, 1967/Agrahayana 25, 1889 (Saka)

विषय	Subject		বৃহত\ _{Pages}
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (हरियाना) 1967-68	Demands for Supplementary Grants (Haryana), 1967-68		3551
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनु- पस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of House	,. •	3551
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report		3551
सभा का कार्य	Business of the House	• •	3551—3552
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित	Indian Tariff (Amendment) Bill Introduced		3553
राज्य भाषायें (संशोधन) विधेयक	Official Languages (Amendment) Bill		3553—3564
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1		35623564
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as amended		35643572
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das		3565—3 566
श्री एस० जेविर	Shri Xavier		3566
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu		3566—3567
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok		3567—3568
श्री का० ना० पांडे	Shri K. N. Pandey		3568
श्री मनोहरन	Shri Manoharan		3568—3569
श्री भोलानाथ	Shri Bhola Nath		356 9
श्री स ॰ मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee		3569
श्री शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand		3569—3570
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	••	3570—3571
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	••	3571
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sevak Yadav	3	3571—35 <i>72</i>

विषय	Subject		বৃচ্চ/Pages
श्री यशवन्त राव चह्नाण	Shri Y. B. Chavan	••	3572
राज भाषाओं के बारे में संशोधन	Resolution Re. Official Languages		3573—3579
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan		3573
श्री तिरुमलराव	Shri Thirumala Rao	••	3573—3574
श्री अम्बीजागन	Shri Anbazhagan		3574
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	••	3575—3576
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	••	357 6
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpaye	••	357 6
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri		3576
सदस्य की रिहाई	Release of Member		3579 —3580
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale		

 $: \mathbf{A}$

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण) LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा LOK SABHA

श्रीनवार, 16 दिसम्बर, 1967/25 अग्रहायण, 1889 (श्रक)
Saturday, December 16, 1967/Agrahayana 25, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई । The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER in the Chair

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (हरियाणा) 1967-68 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (Haryana) 1967-68

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : महोदय मैं श्री मोरार जी देसाई की ओर से वर्ष 1967-68 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (हरियाणा) के बारे में विवरण पेश करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

तीसरा प्रतिवेदन Third Report

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धों समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): The following Government business would be taken during the week commencing 18th December, 1967:-

- (1) The Unlawful Activities (Prevention) Bill, 1967. (Consideration and passing).
- (2) Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (General) for 1967-68.
- (3) Discussion and voting on the Demands for Excess Grants (General) for 1964-65.
- (4) Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (Manipur) for 1967-68.
- (5) The Indian Tariff (Amendment) Bill, 1967. (Consideration and passing).
- (6) Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (Haryana) for 1967-68.
- (7) The Essential Commodities (Second Amendment) Bill, 1967, as reported by the Select Committee. (Consideration and passing).
- (8) The Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill, 1967. (Consideration and passing).
- (9) Discussion on the present international situation and the policy of the Government of India in relation thereto on a motion to be moved by the Prime Minister.
- (10) The Haryana State Legislature (Delegation of Powers)
 Bill, 1967, as passed by Rajya Sabha.
 (Consideration and passing).
- (11) The Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill, 1967.
 (Motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Bill to a Joint Committee).
- (12) The Insecticides Bill, 1967, as passed by Rajya Sabha. (Consideration and passing).
- (13) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1967, as passed by Rajya Sabha. (Consideration and passing).
- (14) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1967, as passed by Rajya Sabha. (Consideration and passing).
- (15) The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Bill, 1967. (Consideration and passing).
- (16) Consideration of motion for Modification of Paradip Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1967, given notice by Shri Srinibas Misra on Wednesday, the 20th December, 1967, at 5 p. m.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Sir, there is no mention of the report about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It should be discussed for 5 hours.

There should be discussion on labour relations too i.e. the relations between the employees and the employers.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Sir, I want the problem pertaining to the border security to be included along with the international situation.

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शक्ती कुरेशी): महोदय, मैं भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"िक भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अतुमित दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

श्री शफी कुरेशी: मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

राजभाषायें (संशोधन) विधेयक—जारी OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL—Contd.

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad): Sir, I stand here to oppose whole-heartedly the English language and to support the Hindi language. I belong to Agra where Hindi agitation is taking place at this moment.

In 1957 I was sentenced for a period of 7 months and 15 days in connection with Hindi satyagraha.

I know Congress will get this Bill passed because of its majority here in this House but there is a greater House i. e. the people of India who will reject it.

We cannot impart higher education to our children through the medium of English language. That can be done only through the medium of Hindi language. It is not the people of South who are working against Hindi. It is the so-called big people of north India who are against it. Only their sons can get into I. A. S. and other services because they study English from the childhood and not the sons of poorer people.

The Britishers have left India but they have tried to destroy our language and our culture.

I support the Hindi language.

Shri Kartik Oraon (Lohardaga): Sir, about 1652 languages are spoken in India. There are regional languages also but there has to be an official language.

If you go to Scotland, people speak Gaelic there and in Welsh they speak Welsh, yet there has never been any dispute about the English language for the whole country in England.

There should be one national language for India so that we may understand each other better through that language.

Hindi has always been the national language of this country. Even Muslims such as Hyder Ali and Abdul Rahim propagated Hindi.

There are about 3 crore tribal people in this country but they never clamour for their language whereas the Tamilians who too are only 3 crores are fighting for their language. I have seen south Indians topping in Hindi Examinations at H. E. C.

We are suffering from the problem of stateism, casteism which are walls in the integration of this country.

I appreciate the difficulty of people in understanding Hindi translation. The language should be simple.

We should appreciate the suggestions made by the Home Minister, view them from the Indian mind and accept them. We should maintain the unity of the nation.

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर): महोदय इस विधेयक से गैर-हिन्दी लोगों की तसल्ली नहीं होती है और नहीं इसमें जवाहरलाल नेहरू के आक्वासनों को जोड़ा गया है।

1965 में मद्रास में गोली चली थी तथा सैकड़ों व्यक्ति मरे थे तथा इसमें से बहुत से जेल में गये थे। स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि नेहरू जी के आश्वासनों के अनुसार संविधान का संशोधन होगा। आम चुनाव के बाद हमारे मुख्य मंत्री जी जब प्रधान मंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी के आश्वासनों को संविधान में संशोधन करके पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा।

मैं जनसंघ तथा संसोपा की स्थिति तो समझ सकता हूं। वे हमारे साथ सहमत हैं कि हिन्दी को लादा नहीं जायेगा। हम भी अंग्रेजी के दास नहीं हैं परन्तु क्योंकि यहां उस भाषा के अनुवाद की व्यवस्था नहीं है इसी कारण हम यहां अपनी भाषा न बोल कर अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। भाषा के झगड़े के लिये मैं सरकार को दोष देता हूं।

हम चाहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिये। जब तक हिन्दी को पूरी तरह समझा नहीं जाता, अंग्रेजी को सरकारी काम में साथ-साथ चलाना चाहिये। यह सरकार तब झुकेगी जब विद्यार्थी तथा आम जनता सरकार के विरुद्ध कार्य करेगी।

Shri B. S. Sharma (Banka): Sir, while listening to the Home Minister, Shri Y. B. Chavan I thought that he was supporting the cause of Hindi but later on when I saw the subsequent proceedings I concluded that they were still in the same rut.

Many people argue that Hindi is the language of north India. I must tell them that in north India too there are so many languages such as Rajasthani, Bhagalpuri, Maithili and Bhojpuri and as such they too would have to undergo the same amount of difficulty in understanding the Hindi language as people from South India would undergo.

Some people argue that English language has brought about the unity in the nation. It is wrong. It was the force of the Britishers which brought about unity.

I endorse the amendment of Shrimati Sucheta Kripalani. I maintain that there should not be any imposition of Hindi or English. The regional languages should be fully developed and used in examinations for services.

The Government's policy of appeasement will not pay. If it continues doing that it will not only lose south India but north India too.

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar): Sir, I support the amendment put forward now. It is a good compromise. There was some misunderstanding which I think will be cleared now. Our constitution has accepted Hindi as national language of India but it has also accepted 14 other languages as the national languages.

If there is discussion in the nation due to language issue, it is an unfortunate thing-

I want the Home Minister to give categorical assurance that English would continue to be used till non-Hindi areas learn Hindi to the extent that they may do their work in that language well.

Hindi is the official language and the union language.

The Hindi bulletins of All India Radio are comprehensible only 50 per cent. That should be made simpler. We should develop other 14 languages too. We should make Hindi books cheap. The literature of Hindi should be made cheap in cost and made available to all.

Some people say that Hindi is the language spoken by the majority. In such matters there should be no question of majority and minority.

Urdu language should also be given a better place.

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar): Sir, I should also be permitted to speak..... **

अध्यक्ष महोदय: जो यह बोल रहे हैं उसे न लिखा जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, I am requesting you.

अध्यक्ष महोदय: मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir. I stage a walk out against your decision.

इसके पश्चात् श्री हुकम चन्द कछवाय सभा-भवन छोड़कर चले गये Shri Hukam Chand Kachwai then left the House

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्नाण) : अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो पर बहुत से संशोधन हैं । उनमें से मैं कुछ संशोधन स्वीकार करना चाहता हूं । इस विधेयक में दोनों स्वर्गीय प्रधान-मंत्रियों द्वारा दिये गये संशोधनों को शामिल कर लिया गया है । मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता । मैं पांच संशोधन अर्थात् संशोधन संख्या 168, 173, 174, 176, तथा 178 स्वीकार कर रहा हूं ।

संशोधन 173 तथा 174 का सम्बन्ध परन्तुक से है, इसलिये मैं उसे पहले ले रहा हूं । अब यह परन्तुक इस प्रकार पढ़ा जायेगा :

^{* *} अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

^{**}Not recorded.

"परन्तु अँग्रेजी भाषा को संघ तथा किसी राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार न किया हो, बीच संचार के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि जहां हिन्दी को किसी ऐसे राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राज भाषा के रूप में स्वीकार किया है, और ऐसे राज्य को जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बीच संचार के प्रयोजन से प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी में ऐसे पत्र के साथ उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न किया जायेगा।"

मैं आशा करता हूं कि इससे स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

श्री सेक्षियान (कुम्बकोणम): यदि मूल पत्र तथा अनुवाद में कानूनी स्पष्टीकरण की बात हो तो न्यायालय किसे ठीक समझेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्नाण : प्राप्तकर्ता राज्य के ऊपर है यह/वह अंग्रेजी को भी न्यायालय में पेश कर सकते हैं। हमारा कार्य इसे कठिन बनाना नहीं है।

संशोधन संख्या 176 द्वारा "हिन्दी" शब्द के स्थान पर 'हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा' शब्द रखे जा रहे हैं। यह संशोधन आवश्यक हो गया है क्योंकि संशोधन संख्या 168 द्वारा संशोधन किया जा रहा है। अतः संशोधन संख्या 176 आवश्यक हो गया है।

संशोधन संख्या 168 द्वारा हम निम्नलिखित शब्द रखकर पंक्ति 25 से 31 में संशोधन करना चाहते हैं:

"ऐसे पत्र का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अथवा यथास्थित हिन्दी में, तब तक संलग्न किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय अथवा निगम अथवा उक्त समवाय के कर्मचारी हिन्दी में काम करने योग्य ज्ञान प्राप्त न कर लें।"

मान लीजिए दक्षिण के किसी स्थान में कोई पोस्ट मास्टर अथवा स्टेशन मास्टर हिन्दी नहीं जानता और आप कहते हैं कि पत्र प्राप्त करने वाला ही अनुवाद के लिये उत्तरदायी है तो किठनाई हो जायेगी क्योंकि यदि उसे कोई हिन्दी में पत्र लिखे तो वह अनुवाद का प्रबन्ध नहीं कर कर सकेगा।

संशोधन संख्या 176 केवल एक आनुषंगिक संशोधन नहीं है। पहले एक भाषा में अनुवाद के लिए धारा में उपबन्ध रखा गया था। अब दोनों भाषाओं, हिन्दी तथा अंग्रेजी के लिये अनुवाद अनिवार्य बनाया जा रहा है। हम पत्र लिखने वाले के लिए अनुवाद की व्यवस्था करना अनिवार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड): इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कर्मचारियों को हिन्दी में काम चलाने योग्य ज्ञान हो गया है अथवा नहीं।

श्री यशवन्तराव चह्नाण : सामान्यतः विभागाध्यक्ष को इस बारे में निर्णय करना होगा।

संशोधन संख्या 178 द्वारा "हिन्दी" शब्द के स्थान पर "हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा" शब्द रखे जा रहे हैं । यह मामूली सा परिवर्तन है ।

श्री राममूर्ति (मदुरै): आपने कहा है कि अनुवाद की व्यवस्था किसी ऐसी मशीनरी द्वारा की जायेगी जिसके बारे में सरकार विचार कर रही है। क्या इसका अर्थ यह है कि अनुवाद की व्यवस्था करना पत्र भेजने वाले अथवा पत्र पाने वाले में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं होगी।

श्री यशवन्तराव चह्नाण: जी नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इस मामले पर विचार किया जायेगा कि अनुवाद कहां किया जाये। जहां पत्र भेजने वाले अथवा पत्र पाने वाले के पास अनुवाद की कोई व्यवस्था न हो तो हम देखेंगे कि प्रत्येक विभाग तथा कार्यालय में क्या प्रशासनिक प्रबन्ध किये जायें। इस समय हम इसकी जिम्मेवारी पत्र लिखने वाले अथवा प्राप्त करने वाले में से किसी पर भी नहीं डाल रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): I would like to know whether noting in Hindi will be allowed and the translation will not be necessary when the file goes to a Hindi-knowing officer. I would like you to clarify this. It is doubtful that you will put into practice the powers that you are obtaining.

श्री यशवन्तराव चह्नाण: यदि आप आशंकाओं से आरम्भ करेंगे तो उसका अन्त भी आशंका ही होगा। मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि सचिवालय में क्या होगा क्योंकि वहां अनुवाद विभाग होंगे। किठनाई इधर-उधर के छोटे कार्यालयों के सम्बन्ध में होगी। इसके लिये हमें अधिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। फाइलों पर नोटिंग अब भी हो रही है। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I urge the Prime Minister and the Minister of Home Affairs to consult the representatives of all the parties in the House between taking votes on this issue.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या आप संशोधन संख्या 132 स्वीकार कर रहे हैं? श्री यशवन्तराव चह्नाण : जी नहीं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर): न्या यह ठीक है कि पत्र-व्यवहार चाहे अंग्रेजी में हो अथवा हिन्दी में, अनुवाद संलग्न करने की कोई समस्या नहीं होगी और पत्र प्राप्त करने वाला यदि आवश्यक हो तो अनुवाद करवायेगा अन्यथा नहीं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: जी हां।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Will it be necessary for a Hindi speaking state to provide translation while despatching a communication to a non-Hindi State.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): May I know whether the communications sent by the Central Government to a Hindi State will be in Hindi

Shri Y. B. Chavan: Yes Sir.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को अंग्रेजी अथवा तिमल में पत्र लिखता है तो क्या उसे उसी भाषा में उत्तर दिया जायेगा?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: पत्र किसी भाषा में लिखा जा सकता है परन्तु उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही होगा।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर): क्या मेरा संशोधन संख्या 101 स्वीकार किया जायेगा? श्री यशवन्तराव चह्वाण: जी नहीं।

श्री राममूर्ति (मदुरै): इस विषय पर सर्वसम्मित प्राप्त करने के लिये मतदान स्थिगित किया जाना चाहिये और पारस्परिक विचार-विमर्श होना चाहिए।

श्री नी॰ श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): यदि हिन्दी न जानने वाला कोई कर्मचारी हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाये तो क्या अनुवाद की व्यवस्था होगी ?

श्री यशवन्तराव चह्नाण: स्थानान्तरण करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने देखा कि दक्षिण के लोग, किसी अन्य क्षेत्र में जाने पर वहां की भाषा आसानी से सीख लेते हैं।

Shri Balraj Madhok (South Delhi): I would like to know whether there will be any time limit for the provision of translation.

श्री यशवन्तराव चह्नाण: जब तक हिन्दी अथवा अंग्रेजी का काम चलाने योग्य ज्ञान न प्राप्त हो जाये तब तक अनुवाद की व्यवस्था होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): I would like to know whether this Bill will have any adverse effect on the decisions already made on this issue.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अधिनियम से संगत आदेश ही जारी रह सकेंगे।

Shri Deorao Patil (Yeotmal): What will be the language of communication between two non-Hindi States.

श्री यशवन्तराव चह्नाण: दो राज्य पारस्परिक करार कर सकेंगे।

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh): Will the Hon. Minister give the assurance for progressive development of Hindi.

श्री यशवन्तराव चह्नाण: हमने हिन्दी के विकास के लिये जो भी नीतियां स्वीकार की हैं, उन्हें लागू करने के लिये पूरी कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं। संशोधन संख्या 168, 173, 174, 176, तथा 178 सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संस्था 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23,24, 25, 27, 29, तथा 30 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संस्था 31, 34, 36, 38, 43, 44, 46, तथा 49 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51 तथा 52 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञोधन संख्या 69 सभा में मतदान के लिये रखा गया
लोक-सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 53; विपक्ष में 219 Ayes .. 53; Noes .. 219

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 तथा
79 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 81 सभा में मतदान के लिये रखा गया
लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 39 विपक्ष में 216 Ayes .. 39; Noes .. 216

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 97, 98 तथा 100 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 102, 105, 110, 111, 116, 117 तथा 118 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 132 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञोधन संख्या 136 सभा में मतदान के लिये रखा गया।
सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 37; विपक्ष में 208 Ayes .. 37; Noes .. 208

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 137 तथा 139 सभा में मतदान के लिये रख गये सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 31; विपक्ष में 211 Ayes .. 31; Noes .. 211

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञोधन संख्या 145, 148, 151, 159, 160, 161 तथा 162 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

पृष्ठ 2,

पंक्ति 25 से 31 के स्थान पर पिढ़ये:

'a translation of such communication in the English language or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry, Department, office or corporation or company aforesaid have acquired a working knowledge of Hindi.'

["ऐसे पत्र का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अथवा, यथास्थिति हिन्दी में, तब तक संलग्न किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय अथवा निगम अथवा उक्त समवाय के कर्मचारी हिन्दी में काम करने योग्य ज्ञान प्राप्त न कर लें।"] (168)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.
अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 170 तथा 171 सभा में
मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्त यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 से 6 के स्थान पर पढ़िये:

"Provided that the English language shall be used for proposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its official language:

Provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its official language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language:"

["परन्तु अंग्रेजी भाषा को संघ तथा किसी राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार न किया हो, बीच संचार के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि जहां हिन्दी को किसी ऐसे राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राज-भाषा के रूप में स्वीकार किया है और ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बीच संचार के प्रयोजन से प्रयोग किया जायेगा, हिन्दी में ऐसे पत्र के साथ उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न किया जायेगा।"] (173)

पुष्ठ 2, पंक्ति 7,

"Provided further" ["परन्तु यह और भी"] के स्थान पर "Provided also" ["परन्तु यह और भी"] शब्द रखे जायें (174)

पुष्ठ 2, पंक्ति 15,

"Hindi" ["हिन्दी"] के स्थान पर "Hindi or English language" ["हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा"] शब्द रखे जायें। (176)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33,

"Both the English language and Hindi" ["अंग्रेजी भाषा तथा हिन्दी दोनों"] के स्थान पर "both Hindi and the English language" ["हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा दोनों"] शब्द रखे जायें। (178)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 188 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 189 सभा में मतदान के लिये रखा गया

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ The Lok Sabha divided पक्ष में 84 ; विपक्ष में 203 Ayes 84; Noes .. 203

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञोधन संख्या 190 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 193 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ The Lok Sabha Divided

पक्ष में 218 ; विपक्ष में 59 Ayes .. 218; Noes .. 59

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

ख़ण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया Clause 2, as amended, was added to the Bill

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म॰ प॰ तक के लिये स्थगित हुई The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म॰ प॰ पर पुनः समवेत हुई The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

> उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए Mr. Deputy-Speaker in the Chair

खण्ड 3

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): While going for lunch, we found that all the door panes of the lobby have been broken. If any Hon. Member wants to go out while the voting is going on and the staff does not have the authority to open the windows, it is not good for members to establish a bad tradition by breaking open the doors. I want a definite decision in this matter so that such things do not occur again.

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। इस पर और चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye: The matter could not be raised earlier due to lunch.

Shri A. S. Saigal: You should consider this matter.

श्री कृष्णमूर्ति : यह इससे राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री सेझियान: जब एक संशोधन पर सभा में मतदान हो गया हो और दूसरे पर होने वाला हो तो उसके बीच दरवाजे खोल दिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है परन्तु शीशे तोड़ना उचित नहीं है।

Shri Madhu Limaye: The Speaker should refer this matter to the committee of Privileges. A student of Lucknow University was punished by the House although he did not break any window pane...

उपाध्यक्ष महोदय: सभा ने उसे दण्ड दिया है। मैं इस मामले को पुनः उठाने की अनु-मित नहीं दूंगा। ऐसी बातें कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेंगी।

श्री मधु लिमये : **

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, I move my amendment No. 56.

Clause 3 has been so framed that restrictions have been placed on the use of Hindi and stimulus has been given to English. It has been clearly provided in this clause that English will continue for all purposes and the President cannot issue any order or direction to the Government imposing restrictions on the use of English. This constitutes a violation of the constitution.

श्री यशवन्तराव चह्नाण: मूल अधिनियम की धारा 4 का उद्देश्य एक आयोग की नियुक्ति करना है जो हिन्दी आदि की प्रगति के कार्यों को देखे और इस सम्बन्ध में सिफारिशें करे, राष्ट्रपति सिफारिशें स्त्रीकार कर सकते हैं। मैंने यह आश्वासन दिया है कि सरकार हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की प्रगति के लिये इस अधिनियम से संगत सभी कार्य करने के लिये दृढ़ संकल्प है।

श्री निम्बयार (तिरुचिरापिल्ल): धारा 3 तथा धारा 2 अनुवाद तथा कई अन्य विषयों के बारे में अस्पष्ट हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुवाद की व्यवस्था कौन करेगा पत्र लिखने वाला अथवा जिसको पत्र लिखा गया है। अतः मेरा निवेदन है कि आदेश इस प्रकार जारी किये जायें कि अस्पष्टता समाप्त हो जाये।

आज कार्यालयों में पत्र-व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। यदि स्पष्ट हिदायतें न दी गईं

^{**}कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

^{**}Not recorded.

तो स्थित और भी खराब हो जायेगी। सरकार दबाव में आ रही है और अहिन्दी भाषी लोगों को दिये गये वचनों का पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री बी॰ कृष्णमूर्ति: श्रीमान्, आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है।

Shri Madhu Limaye: Sir, I request that the amendments moved by Shri Kanwar Lal Gupta should be accepted. Government should give more importance to Hindi language.

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री कंवर लाल गुप्त का संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखता हूं।

> उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्त यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ The Lok Sabha divided

पक्ष में 205; विपक्ष में 30 Ayes .. 205; Noes .. 30

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चह्नाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"िक विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

Shri Madhu Limaye: Sir, I want to draw your attention to rule No. 93. According to part (2) of this rule where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill be passed shall not be moved the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made.

Sir, I request yo to listen to my argument and then give your decision.

This provision in Rules has been made so that amendments made in the Bill could be considered thoroughly. These rules were framed after great deal of thinking. In this Bill five amendments have been accepted. Thus it has been substantially amended. I humbly request that this motion be deferred till Monday. This rule is there to ensure that no Bill which has been amended is passed in haste. With this thing in view Speaker has been empowered to do that.

Shri Atal Behari Vajpayee: I support the point raised by Shri Limaye. After these amendments substantial changes have been made in the Bill. Thus I think that its third Reading should be postponed till Monday.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, it is Sunday tomorrow. It would be better if we are given some more time for consultation before this Bill is passed. I request that it should be taken up on Monday.

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधु लिमये ने यह प्रश्न उठाया है कि इस विधेयक में संशोधन स्वीकार हुए हैं, अतः इस को पारित किया जाना आज स्थिगित किया जाये। इस बारे में पहले कई बार हुआ है कि विधेयक में संशोधन होने के स्थिति में उसे पारित करने का प्रस्ताव भी उसी दिन प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक के बारे में मुझे विचार करना होगा कि क्या इन संशोधनों से विधेयक में आमूल परिवर्तन हो गये हैं? मेरे विचार में ऐसी बात वैसे हुई नहीं है। अतः आपके व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है। हम अब विधेयक को लेते हैं।

Dr. Govind Das (Jabalpur): Sir, I oppose this Bill in its present form. With these amendments no basic change has been made. That is why I had opposed this Bill at introduction stage. I believe in principles. I am constrained to say that we have not followed the principles laid down in our constitution. This Bill goes against the spirit of constitution. Language has a very important place in life of man. I want to say without hesitation that this Bill aim at virtual imposition of English on this country. I am a member of ruling party but I cannot believe that this Government will be able to remove English in this way. Nobody is happy with Bill.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए Mr. Speaker in the Chair

Even D. M. K. Group has opposed this Bill. The feelings of Hindi speaking have also come to light.

I think Government is doing something against the country by passing this Bill. I have confidence in this Government, otherwise I would have left this party. So far the language question is concerned, I have no faith in this Government. They did not take any step during the last 15 years for switch over from English to Hindi.

But I am sure that the people of this vast country will not tolerate English any longer. Here in this party, I feel alone on this question. I am reminded a song of poet Tagore. It gives me some sort of inspiration. It would be appropriate if this Bill is circulated for knowing public opinion or a round table conference should be convened to remove differences on the language question. I am against imposition of Hindi also. Let those continue English who want it, but should not be for entire country.

I oppose this Bill.

श्री जेवियर (तिरुनेलवेल्ल) : हमारे समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं। हिन्दी का झगड़ा भी खड़ा कर दिया गया है। हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में कभी भी नहीं बनी, परन्तु नेहरू के आक्वासनों को ध्यान में न रखते हुए अब हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया जा रहा है। मैं इस धारणा से सहमत नहीं कि हिन्दी के आने से देश में एकता सुदृढ़ होगी। हिन्दी वालों के व्यवहार से देश की एकता को हानि हुई है। इस विधेयक के कारण देश में फूट के बीज बोये जा रहे हैं। इस विधेयक से हिन्दी भाषियों को सुविधा का स्थान दिया जा रहा है। गैर-हिन्दी के क्षेत्रों को अपनी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी को भी पढ़ना होगा। इस प्रकार हमारे साथ भेदभाव बर्ता जा रहा है। हम कह सकते हैं कि यह संविधान के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। नेहरूजी के आश्वासनों के बारे में इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। अब तो यह विधेयक अनावश्यक सा जान पड़ता है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के आन्दोलन के भय से और दबाव में आकर सरकार ने इस विधेयक में बहुत से संशोधन कर दिये हैं और एक संकल्प भी प्रस्तुत कर दिया है। संकल्प के पैरा संख्या 4 (क) में आप देख सकते हैं कि गैर-हिन्दी भाषियों की कैसे हानि होगी। उसमें उपबन्ध किया जा रहा है कि कुछ पदों के लिये तो हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक होगा । अब प्रशासनिक पदों के हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार गैर-हिन्दी क्षेत्रों के प्रत्याशियों को बहुत कम अवसर मिल सकेंगे । यह नेहरूजी के आश्वासनों के अनुसार नहीं है । इस प्रकार हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को मुक्किल का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण हम इस विधेयक पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों का विरोध करते हैं। इसका केवल मद्रास के नहीं बल्कि और भी बहुत से क्षेत्रों के लोगों ने विरोध किया है। इससे यही सिद्ध होता है कि हिन्दी हमारे विरोध के बावजूद हमारे ऊपर लादी जा रही है। अंग्रेजी को लादने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अंग्रेजी तो यहां पर बहुत पहले से प्रचलित है।

यह भी कहा गया है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने और कोई बात विदेशी अपने यहां अपनायी नहीं है? संसदीय प्रणाली भी तो विदेशी प्रणाली है। रेलें, बिजली, टेलीफोन, दवाइयां-सभी विदेशी हैं। हम विदेशों से ऋण भी लेते हैं और खाद्यान्न भी मंगाते हैं। हमें अंग्रेजी से घबराना नहीं चाहिये।

हम इस विधेयक, संशोधनों का तथा संकल्प का विरोध करते हैं। देश के वयोवृद्ध नेता राजाजी ने कहा है कि हमें इस विवादास्पद बात को अभी नहीं उठाना चाहिये और भाषा सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था बनाये रखनी चाहिये। हां, हिन्दी वाले अपने राज्यों में हिन्दी लागू कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को अंग्रेजी को बनाये रखना चाहिए और संविधान में उचित संशोधन करना चाहिये। हमें लोगों के जीवन को भाषा से अधिक महत्व देना है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि संविधान में संशोधन करे और हमारे क्षेत्र के लोगों के हितों की रक्षा करे।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): आन्ध्र प्रदेश में जब आप मुख्य-मंत्री थे तो त्रिभाषी सूत्र लागू किया गया था और लोग अपने बच्चों को अग्रेजी, तेलुगु और हिन्दी पढ़ा रहे थे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु जब हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने नारे लगाने आरम्भ किये तो दिक्षण के लोगों को बहुत दुःख हुआ। यहां पर दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए हैं उनको देखकर हम कह सकते हैं कि हिन्दी से अब कोई प्रेम नहीं है। अब तो मैं यह महसूस करता हूं कि हिन्दी वालों की कोई सम्यता ही नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वह ठीक था परन्तु हिन्दी वालों के दबाव में आकर उसमें ऐसे-ऐसे संशोधन कर दिये गये हैं कि जिनसे हिन्दी वालों को तो लाभ रहेगा, और गैर-हिन्दी के क्षेत्रों के लोगों को बहुत बोझ उठाना पड़ेगा। यह सब उचित नहीं है। यह तो पंडित नेहरू के आक्वासनों की अवहेलना है। मैं समझ नहीं सका कि सेठ गोविन्द दास इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे भय है कि आंध्र प्रदेश में लोग त्रिभाषी सूत्र पर पुनः विचार करेंगे। मद्रास में भी अब लोग हिन्दी के प्रति रुचि नहीं दिखायेंगे।

इस प्रकार से देश की एकता को भी हानि होगी। दक्षिण वालों को हिन्दी सीखने के लिये और समय दिया जाना चाहिये। इस विधेयक और संकल्प के पारित हो जाने से दक्षिण वालों का सरकारी सेवाओं में रोजगार पाना बहुत कठिन हो जायेगा। हमें इतना कट्टर रवैया नहीं अपनाना चाहिये। सरकार को इन सुझावों पर विचार करना चाहिये।

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi): My party, Bhartiya Jan Sangh cannot support this Bill in this form. It would have better if our amendments had been accepted. That was a way out for solving this ticklish problem.

I am opposed to this Bill, because I come from Hindi-speaking. Actually my mother tongue is Punjabi. It is not a question of Hindi people or non-Hindi people. It is a matter of the unity and interests of our country. This problem should have been solved 15 years back.

It was agreed that Hindi would be our official language and all the other 14 languages are our national languages. This decision of the Constituent Assembly has not been implemented. It is most unfortunate. Had our Government done its duty this problem would not have arisen. Pt. Nehru was against Hindi. He wanted that English should be continued in this country and he left some assurances behind him. Now this Bill is a beginning of the end of English.

I am not against English. I have written a dozen of books in that language. But we cannot allow English as dominant language in this country. We do not object its use for some more time, but it should not be here for ever as official language. It is a foreign language.

We should not give veto power to any state in the matter of switch over to Hindi. Later it will become difficult. Nagaland will pose problem in the long run. We do not want to impose Hindi on anyone but simultaneously English also should not be imposed on anyone. We understand the difficulties of our friends in South India. We should treat all of us countrymen. We should respect each other's feelings. We can find some mutual agreement.

There is a provision in this Bill that all the languages should be the media of examination of Union Public Service Commission. But the final decision has been left to the commission.

I feel the future of our children is not entirely dependent on Government service. If the decision is implemented at an early date this fear will not be there.

With the passage of this Bill, a feeling of nationalism and national language come up. I do not approve of these riots but it shows that people are quite conscious of their national language. I hope this Government will now take concrete steps for developing Hindi and making it popular. Central Universities should be opened in non-Hindi areas where arrangements should be made for the study of Hindi. People of those areas should be prepared to adopt Hindi as their language of study. Our party will cooperate in this task.

Shri Kashi Nath Pandey (Padrauna): Our country has suffered on account of internal disunity. We should not do or say anything which is against the vital interests of the country. When Hindi is taken up by all parts of our country, it will be in the interest of country's unity. We will have no difficulty at all. Our official language has been changing with the change of our rulers. We adopted English with arrival of Englishmen. People learnt it to get employment in Government services.

Now the country is free. We should have our own language as official language. It is not correct that we can make progress with English only. Japan has its own language. China has not got English as its language.

It is against the honour of our country to keep a foreign language. Our Constituent Assembly decided that Hindi would be our official language from 1965. This decision was taken after thinking over all the pros and cons of the matter. I have to blame the Central Government for remaining inactive in the matter of development and spread of English.

Now onward Government should implement these decisions in right earnest.

श्री मनोहरन (मद्रास-उत्तर): मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। कई लोग तो उत्तेजित भी हो गये थे। बड़ी दलीलें दी गई हैं और बहुत प्रकार के तर्क दिये गये हैं। मेरा दल सूझबूझ से कार्य करता है और अन्याय का साथ नहीं देता। हमें लोगों के मन की बात को समझना चाहिए। मेरे विचार में तो हिन्दी वाले गिरी हुई भाषा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं……

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मुझे 'गिरी हुई' शब्द पर आपत्ति है। यह कहना उचित नहीं है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय: यह असंसदीय नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: तो क्या इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्या राजभाषा को ऐसा कह सकते हैं? यह उचित नहीं है।

श्री मनोहरन: यदि ऐसी बात है तो मैं कहूंगा कि यह एक सुन्दर तथा अच्छी भाषा है। हम डी० एम० के० के सदस्य चाहते कि राजभाषा के प्रश्न पर पुनः विचार होना चाहिए। और संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। पहले भी तो संविधान को बीस बार संशोधित किया जा चुका है। हिन्दी भाषी सदस्यों ने यहां पर भी बहुत उत्तेजना दिखायी है। 1949 में भी पण्डित नेहरू ने कहा था कि हिन्दी भाषा किसी पर लादी नहीं जा सकेगी। संविधान सभा में भी मद्रास के सदस्यों ने हिन्दी का विरोध किया था। यह विधेयक हमारे पर हिन्दी लादने के लिये लाया गया है।

मेरा दल यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि केवल हिन्दी ही राजभाषा हो। मैं अंग्रेजी का पक्षपाती हूं। यह मेरी मानृ भाषा नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता की दृष्टि से मैं इसका समर्थन करता हूं। अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा बताना भी गलत है क्योंकि यहां पर एंग्लो-इंडियन जाति है जिसकी मानृ भाषा-अंग्रेजी है। यदि उस जाति के लोगों को भारतीय माना जाता है तो उनकी मातृ-भाषा को भी एक राष्ट्रीय भाषा मानना होगा। राष्ट्र-भाषा का विकास ऐतिहासिक विकास के आधार पर होना चाहिए। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाना अनुचित है। मेरा निवेदन है कि देश में अंग्रेजी बनी रहे। न केवल मद्रास बित्क इस बात का समर्थन केरल, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्य भी करते हैं। मैं गृह मंत्री को चेतावनी देता हूं कि यदि हिन्दी को जबरदस्ती लागू किया गया तो एकता को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्हें न केवल हिन्दी को बित्क सभी भारतीय भाषाओं को स्नेह करना चाहिए।

Shri Bhola Nath (Alwar): A member of D.M.K. party just said that English is a language of utility. But Hindi is also a language of utility. If any Menon or Mukherjee accepts the appointment of Block Development Officer in Rajasthan, he speaks in Hindi with the villagers. Thus Hindi becomes the language of utility for him. So he is bound to learn Hindi. Similarly, if any man from Hindi speaking States goes to non-Hindi States on any post he has to learn the language of that very state. Now most of the I.A.S. officers and other officers come from South India, because they know a little more English. This is their point of view of utility.

Now the Governments of Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan have decided to use Hindi as their official language. So why the people from the South want to impose English on us when we do not want to impose Hindi on them. Let us all be free in respect of use of languages. We like Hindi, let us use Hindi. You want English, you should use English in your own State.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): My party proposed certain amendments, which were not accepted by our Home Minister. We want that English and all the languages mentioned in the Eighth Schedule to the constitution shall be used for the transaction of business in Parliament. We also want that U.P.S.C. examinations should be held in all the languages mentioned in the constitution and the quota in Central Services for every State in proportion to its population should be fixed. I also support the proposition that Hindi should not be imposed on non-Hindi people and English should not be imposed on Hindi speaking states. But at the same time we should admit that there should be one official language and a foreign language cannot be the official language in our country. We should be careful of further division of India in the name of the language. We should adopt an Indian language mutually acceptable to all.

श्री शंकरानन्द (चिकोडी) : हमें संसद में ऐसे भाषण देने चाहिए और इस ढंग से काम

करना चाहिए जिससे उसका बाहर दुष्प्रभाव न पड़े। राष्ट्र और एकता के हित में हमारी एक राष्ट्र-भाषा होनी चाहिए। परन्तु हिन्दी वाले इस सम्बन्ध में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। वे इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं जिनसे यह मालूम होता है कि हिन्दी अहिन्दी भाषियों पर थोपी जायेगी। यह उचित नहीं है। साथ ही हिन्दी भाषियों ने ज्ञानार्जन की समस्या पर ध्यान नहीं दिया! विज्ञान, इंजीनियरी तथा चिकित्सा सम्बन्धी विषयों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया। इन विषयों की मूल पुस्तकें हिन्दी भी नहीं हैं। साथ ही उनके अनुवाद के लिए पैंसे की व्यवस्था नहीं है और अनुदित पुस्तकें हैं भी कम। फिर एक ही रात में अंग्रेजी से हिन्दी में परिवर्तन कैंसे हो सकता है। इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। यह भी अनुचित है। दक्षिण वालों से मेरी यह अपील है कि वे अपने मन से यह बात निकाल दें कि वे हिन्दी में प्रगुणता प्राप्त न कर सकेंगे या हिन्दी के राजभाषा होने पर उन्हें हानि होगी। देश के हित और एकता का ध्यान रखते हुए हमें भाषा के मामले पर भी एकमत होना चाहिये। अतः इस विधेयक का विरोध न किया जाये।

श्री राममूर्ति (मदुरै): जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त के लिए लड़ रहे थे तब भी हम विभिन्न भाषाएं बोलते थे लेकिन तब यह कटुतापूर्ण वातावरण नहीं था। स्वभावतः लोग एक दूसरे की भाषा को सीखते और बोलते थे। हममें सद्भावना थी और एकता थी। क्या वही प्रवृति हम स्वतन्त्रता के बाद नहीं अपना सकते।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए Mr. Deputy-Speaker in the Chair

जब हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे उस समय एकता की भावना हमें एक साथ बांधे हुई थी। यदि वही भावना आज भी हममें होती तो ऐसी समस्याएं सामने ही न आतीं।

प्रत्येक भाषा उत्तम है और यदि उसे विकास का अवसर दिया जाय वह अवश्य ही प्रगति करेगी । मेरे विचार से सरकार को सभी भाषाओं को विकास का समान अवसर प्रदान करना चाहिए । इससे प्रशासन की भाषा के सम्बन्ध में कोई झगड़ा न रहेगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि त्रिभाषा सूत्र एक घोखा मात्र है और इसका कुछ भी उपयोग न होगा। सिद्धान्त रूप में यह सूत्र सुन्दर दिखाई देता, परन्तु यह व्यावहारिक सिद्ध न होगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भाषा सीखने के लिए बाध्य क्यों किया जाये। उत्तर वाले दक्षिण की कोई भाषा क्यों सीखें और दक्षिण वाले हिन्दी क्यों पढ़ें। यदि किसी को किसी अन्य प्रदेश की भाषा की आवश्यकता पड़ेगी तो वह उसे अवश्य ही सीखेगा। आज भी अनेक हिन्दी भाषी तिमल तेलगू जानते हैं और मद्रासी और बंगाली अच्छी हिन्दी जानते हैं। फिर इसके लिये कानून क्यों बनाया जाये। दूसरे भाषा बोलने से अधिक आती है पढ़ने से इतनी नहीं। भाषा के मामले पर भारत का विभाजन न किया जाये। हिन्दी भाषी तथा अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों में दीवार न खड़ी की जाये। अतः मेरा गृह मन्त्री से यह निवेदन

है कि वह यह संशोधन मान लें कि सरकारी सेवा के लिए अंग्रेजी तथा आठवीं अनुसूची में सिम्मिलित भाषाओं में से किसी एक की भाषा का ज्ञान पर्याप्त होगा। बाद में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के सीखने की व्यवस्था के अनुसार उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाये। अतः मेरा अनुरोध है कि आप प्रस्तुत संकल्प को जल्दी में पास न करें और उस पर लोगों की राय लें। हमें सभी भाषाओं के विद्यार्थियों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। यदि सरकार ने यह संकल्प पास करके विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों को भिन्न वर्गों में बांट दिया तो उसके परिणामों के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): It can be well understood that the purpose of the language is to understand one another's ideas and thus promote the love and fellow feelings in the society. From this point of view language carries much more importance for a nation. But unfortunately there is bitterness, a shadow of no confidence and jealousy prevailing in our country over language issue. It should be remembered that the language is a means and not the goal.

People are learning Hindi in South enthusiastically. The Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha have done a lot in the South for propagation of Hindi. It is a matter of pleasure that the people who oppose Hindi in day, learn the same in the night. A Hindi magazine like 'Chanda Mama' is being published from Madras. The people in the South are not against Hindi. But Hindi speaking people have created the misunderstanding by being over enthusiasts about the propagation of Hindi in the South. They issued certain statements and acted in such a manner, which made the people of the South suspicious about the imposition of Hindi. Now we, the people of Hindi areas, should do some concrete things to develop Hindi in our own areas. The people of the South will themselves learn Hindi, because they know that Hindi will surely take its place one day. It may be admitted and I admit that Hindi is not rich in its literature in comparison to Tamil and Bengali. But it is, no doubt, a simple language, which can easily be learnt or understood. Any language which claims to be the national, should have this quality. It is unfortunate for our country that the language issue has taken a political turn We should win the confidence of the non-Hindi speaking people while adopting Hindi.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): We should be really ashamed of what we have achieved in respect of language during 20 years after independence. Nagaland has adopted English as official language. This Bill is being passed for allowing the use of English for official purposes for indefinite period. This is our achievement. Everybody should take it for granted that English will definitely go. But we will have to fight it out, because some people strongly favour English. They want to impose Hindi on all the peoples of the country. We should not blame the people of South for it. English-knowing people of the North are equally to be blamed for it. Because they do not want that their menopoly in respect of administration should end. If Hindi becomes the official language they will lose their hold on the Government.

The states were reorganized on linguistic basis in order to provide opportunity to the regional languages to develop and to facilitate the people to work in their own regional language. But it is a matter of sorrow that most of the States are still working in English and they have not adopted their regional languages for official purpose. The monopoly of English can be finished

only by replacing it by regional languages in all the states. Now there is no conflict between Hindi and other Indian languages. The conflict is between the English and Indian languages. First of all, we should remove English from its present place and status. So I make an appeal that this black Bill should be withdrawn and English should be removed with immediate effect to make place for Hindi as well as other regional languages.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यज्ञवन्तराव चह्नाण): तृतीय वाचन की अवस्था में जो वक्तव्य दिये गये हैं, उनमें कोई नई बात नहीं कही गयी है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो संशोधन स्वीकार किये हैं उससे विधेयक का प्रभाव कम नहीं हुआ है। विधेयक का प्रभाव और भावना ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसमें अहिन्दी भाषी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन पर हिन्दी थोपी नहीं जायेगी। अब सभा इस विधेयक को पास करने जा रही है, इसलिये मैं आप सबसे यह अपील करता हूं कि इसके पास होने के बाद आप पारस्परिक वैमनस्य त्याग कर एकता को बढ़ावा दें। भाषा एकता लाने का माध्यम है। इसे फूट के अस्त्र के रूप में प्रयोग न किया जाये।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि संशोधित रूप में विधेयक पास किया जाये।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए] Mr. Speaker in the Chair

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न है कि:

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): We do not support this Bill so we will not participate in the division.

इसके पश्चात श्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

> Shri Atal Bihari Vajpayee and some other Hon. Members then left the House

> > लोक सभा में मत विभाजन हुआ The Lok Sabha divided

पक्ष में 205; विपक्ष में 41 Ayes: 205 Noes: 41

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

इसके पश्चात श्री मधु लिमये तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Madhu Limaye and some other Hon. Members then left the House

इसके पश्चात श्री शिवचरण लाल सभा भवन से बाहर चले गये

इसके पश्चात श्री प्रकाशवीर शास्त्री सभा भवन से बाहर चले गये Shri Prakash Vir Shastri then left the House

अध्यक्ष महोदय: अब हम संकल्प पर विचार करेंगे।

श्री स॰ मो॰ बनर्जी (कानपुर): मेरा निवेदन है कि संकल्प पर चर्चा के लिये सब दलों को समय दिया जाये, क्योंकि अभी तक विधेयक पर ही चर्चा चली है। हमने तो संकल्प के सम्बन्ध में संशोधन भी नहीं दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय: समयं नियत करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वैसे मेरा यह विचार था कि विधेयक और संकल्प पर साथ-साथ चर्चा चल रही है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्नाण): मैंने तीन संशोधन संख्या 61, 62 तथा 63 स्वीकार कर लिये हैं। मूल संकल्प में यह व्यवस्था थी कि संघीय सेवाओं में भरती के समय हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा। संशोधन में यह व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये हिन्दी या अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होगा। तर्क यह है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी न थोपी जाये। इसीलिये इस संकल्प में यह व्यवस्था की गई है। यह दक्षिण वालों के लिये आश्वासन है। इसी प्रकार का आश्वासन उत्तर वालों को भी चाहिये कि उन पर अंग्रेजी न थोपी जाये। भाषाओं के भार को समान रखने के उद्देश्य से हमने यह स्वीकार कर लिया है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं सभी भाषाओं में हों। सम्भवतः अक्तूबर, 1968 से ऐसा हो सकेगा। प्रश्न केवल सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या हम अपने देश में एक सम्पर्क भाषा बनायें और क्या यह राजभाषा का स्थान ले। हमारे सामने कठिनाइयां कुछ भी हों इन प्रश्नों का सामना तो हमें करना ही होगा। यदि त्रिभाषा सूत्र ठीक प्रकार से लागू न हो सका तो इस बारे में फिर विचार किया जायेगा।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा): मैं सभा का घ्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह एक संकल्प है, अधिनियम नहीं है। इसमें सरकार को ये निर्देश दिये गये हैं कि वह सभा की इच्छा को कियान्वित करे। चूंकि दक्षिणी राज्य अभी तक अंग्रेजी अपनाए हुए हैं, इसलिये हम इस बात से बेचैन थे कि कहीं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से अंग्रेजी को बिल्कुल ही न हटा दिया जाये। अभी हमारी प्रादेशिक भाषाएं उतनी विकसित नहीं हो पाई हैं कि वे विश्वविद्यालय स्तर पर भाषा का माध्यम बन सकें।

लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 12 या 13 विषयों में से 9 विषय प्रत्येक उम्मीदवार अपनी निजी स्थानीय भाषा में लिख सकता है, चाहे वह तामिल, तेलगू या मराठी हो। लेकिन जब आपने एक बार संविधान में देश की सम्पर्क भाषा तथा राजभाषा हिन्दी स्वीकार कर ली हैं

तब एक दिन आयेगा जब कि हिन्दी को पूरे देश का प्रशासन चलाने के लिये स्वीकृत स्थान लेना होगा। आप चाहे इसे स्वीकार न करें, परन्तु जिन्होंने संविधान को स्वीकार किया उन्हें इसे स्वीकार करना होगा।

दक्षिण में यह आशंका स्वाभाविक है कि यदि हिन्दी क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक तिभाषा-सूत्र कार्यान्वित न किया गया तो दक्षिण के लोगों को किठनाई होगी । मुझे बताया गया है कि लोक सेवा आयोग की तीन और परीक्षाएं ऐसी होंगी जो हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम द्वारा होंगी। यह भी कहा गया है कि जब तक समस्त देश हिन्दी नहीं अपना लेता तब तक अंग्रेजी को कुछ और अधिक समय के लिये जारी रखा जाना चाहिये। अतः लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए किसी उम्मीदवार को, चाहे वह हिन्दी क्षेत्र का हो या अहिन्दी क्षेत्र का, कभी न कभी तो समय आने पर हिन्दी अथवा कुछ समय तक अंग्रेजी के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा पास किये जाने पर ही वह अहंता प्राप्त माना जायेगा। तीन परीक्षा पत्र ही उसके भाग्य का अंतिम निर्णय करेंगे।

श्री अंबाजागन (तिरुचेगोड): अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थी एस० एस० एल० सी० तक या कालिजों तक भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिये एक प्रश्न पत्र को अंग्रेजी में लिखना पड़ता है परन्तु हिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों के लिये ऐसा नहीं है। वे सभी विषय और भाषाओं के प्रश्न पत्र का उत्तर भी हिन्दी में दे सकते हैं। उन्हें अपनी भाषा के अतिरिक्त और किसी भाषा को न सीखने की और न उसमें उत्तर देने की ही आवश्यकता है। उन्हें दूसरी भाषा सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः विद्यार्थियों पर समान भार नहीं पड़ता। गृह-मंत्री को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि परीक्षा में बैठने के लिये उन्हें कौनसी दूसरी भाषा सीखने की आवश्यकता है। क्या वे हिन्दी के अतिरिक्त इस देश की अन्य राष्ट्रभाषाओं में से किसी एक भाषा को पढ़ेंगे ? क्या वे ऐसी किसी भाषा में परीक्षा के एक प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या सरकार यह कहने के लिये तैयार है कि उत्तरी भारत के विद्यार्थियों को दक्षिण भारत की भाषाओं में से एक भाषा सीखनी चाहिये ? यदि उत्तरी भारत के मित्र यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं तो क्या वे किसी और भाषा को स्वीकार करेंगे ? यदि मंत्री महोदय यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो व्या वे किसी और भाषा को स्वीकार करेंगे ? यदि मंत्री महोदय यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं तो द्वादड मुनेत्र कषणम इस संकल्प को पास करने में भागीदार नहीं होगी। अतः संकल्प के विरोध में हम सदन त्याग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी उत्तर नहीं दिया है वे उससे पहले क्यों सदन त्याग करना चाहते हैं ?

श्री अम्बाजागन : मुझे पता है कि मंत्री महोदय यह आक्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): यदि माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को घ्यान से सुना होता तो उन्हें ज्ञात होता कि तीन भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था को लागू करके बोझ की असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया गया था। यदि हम यह कहें कि त्रिभाषा सूत्र को

कियान्वित किया गया है तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। अतः इस स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर हमें एक और विषय को अनिवार्य रूप से लागू करने का विचार करना होगा। मैं इन मामलों में संदेह नहीं बढ़ाना चाहता हूं। हमें इन सभी बातों का कुछ प्रयोग तो करना होगा। तब हम देखेंगे कि क्या कुछ किया जाना चाहिये।

श्री अम्बाजागन : तब इस संकल्प को पास करने में द्राविड़ मुनेत्र कषगम योग नहीं देगी ।

इसके पत्रचात श्री अम्बाजागन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये

Shri Ambazhagan and Some other Hon. Members then left the House

श्री पीलु मोडी (गोधरा): मंत्री महोदय ने द्राविड मुनेत्र कषगम के सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं किया है।

श्री यशवन्तराव चह्नाण : उत्तर भारत में रहने वाले बहुत से भारतीयों की भाषा हिन्दी नहीं है। वे भोजपुरी, मेथली और अन्य भाषाएं हैं। वे वहां अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी भी सीखते हैं। आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि हिन्दी भाषा उत्तर में रहने वाले व्यक्तियों की मातृभाषा है।

श्री राममूर्ति (मदुरै): मैं यह नहीं चाहता की यह संकल्प हमेशा के लिये रुका रहे मैंने तो केवल निवेदन किया है। उन्हें इस पर विचार करना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से मंत्री महोदय कोई भी दलील स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। अतः जैसा वे चाहते हैं वैसा ही इसे वे पास कर लें।

इसके पश्चात् श्री राममूर्ति तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य समा भवन से बाहर चले गये Shri P. Ramamurti and some other

Hon. Members then left the House

श्री जे एच पटेल (शिमोगा) : कन्तड़ में बोले

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो हिन्दी तथा अंग्रेजी नहीं जानते। इस विषय पर हम अलग से चर्चा करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): In this Resolution amendment have been moved by Shri Madhu Limaye and from my party. Their aim is that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution shall become the media for All India and Higher Central Services Examinations within a year from the adoption of the Resolution.

I want to know the opinion of the Home Minister with regard to this amendment.

अध्यक्ष महोदय: गृह-मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आगामी मार्च से वह ऐसा करना चाहते हैं, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। अक्तूबर से वह इसका प्रयास करेंगे। यदि ऐसा सम्भव नहीं हुआ तो वे 1969 तक निश्चित तौर पर ऐसा करेंगे।

Shri Sarjoo Pandey: It is admitted that there are difficulties. But a language can only be a national language of the country in case the people may be taught in regional languages. I request that my amendment may be accepted.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Language of Hindi States as well as the Union Official language is the same, while the language of non-Hindi states are different from the Union Official language. To that extent there is inequality. Therefore it will be better if knowledge of neither Hindi nor English is made compulsory at the stage of selection of candidates for the Union Services.

When all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution were to be the media of UPSC Examinations for All India and higher Central Services, why should English be allowed as one of the media?

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur): When all the regional languages will be allowed as media of Examinations, there is no necessity of making the knowledge of either English or Hindi Compulsory at the recruitment stage. After selection and before appointment the candidate must acquire knowledge of Hindi and English.

We are not opposed to the idea of a second language paper for candidates of Hindi speaking areas if three languages formula cannot be implemented.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Under the three languages formula people in Hindi areas should be allowed to study any modern Indian language apart from Hindi. Study of any particular language or languages should not be insisted upon.

The Home Ministry should request the Education Ministry to make the literature available in different languages written in Devnagri Script.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्नाण): श्री मधु लिमये ने यह कहा है कि हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य क्यों किया जाना चाहिये? यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रादेशिक भाषा की जानकारी है तो केन्द्रीय सेवाओं में आने के लिये वह पर्याप्त है। यह केवल संकल्प पारित करने अथवा अधिनियम पारित करने का प्रश्न नहीं है। यह प्रशासन चलाने का मामला है।

श्री बाजपेयी ने सुझाव दिया है 'कि आप चयन करने के पश्चात और नियुक्ति से पूर्व ऐसा अनिदार्य कर सकते हैं।' क्या किसी व्यक्ति से यह आशा की जा सकती है कि उसे चयन के बाद परन्तु नियुक्ति के पहले दोनों सम्पर्क भाषाओं का ज्ञान हो।

कोटा प्रणाली के सम्बन्ध में मुझे सन्देह है। यदि हम एक बार भाषा के आधार पर कोटा वितरण आरम्भ कर दें तो अन्त में जाति और समुदाय तक बात चली जायेगी। हिन्दी भाषी व्यक्ति अथवा उम्मीदवार अपनी मातृ-भाषा की जानकारी से परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। यदि हम एक बार यह स्थिति स्वीकार कर लेते हैं कि एक भारतीय भाषा को सम्पर्क की भाषा होना चाहिये तो यह कठिनाई हमेशा के लिये हो जायेगी। तीन भाषाएं सीखने की तथा दूसरे लोगों के लिये अपनी-अपनी भाषाओं में परीक्षा देना सम्भव बनाने की नीति लागू करके हम उस बोझ को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करना होगा। ऐसा पूछा गया है कि क्या हिन्दी भाषी व्यक्तियों के लिये कोई अन्य भाषा अनिवार्य विषय के रूप में सीखना अनिवार्य किया जायेगा। इस प्रश्न पर अवश्य विचार किया जायेगा।

यह संसद् का संकल्प है और संसद् का संकल्प केन्द्रीय सरकार के लिये बाध्य होता है। वह राज्यों के विधान मंडलों पर कानूनीतौर से बन्धनकारी नहीं है। उसमें इस भाषा समस्या, राजभाषा और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं आदि के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण उल्लिखित है। हम हिन्दी भाषा के विकास का उत्तरदायित्व ले रहे हैं। अन्य भाषाओं के विकास की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। हम शिक्षा प्रणाली में त्रिभाषा सूत्र लागू करने का सिद्धान्त स्वीकार कर रहे हैं। हम लोगों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम को लेकर बैठने की अनुमित दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 1 को मतदान के लिये रखता हूं। श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1 समा की अनुमति से वापिस लिया गया The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ Lok Sabha Divided

पक्ष में

10

विपक्ष में

185

प्रस्ताव अस्वोकृत हुआ The motion was negatived

संज्ञोधन संख्या 3 और 4 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये
The Amendments were put and negatived

संशोधन संख्या 5 और 6 को समा की अनुमति से वापिस लिया गया The Amendment Nos. 5 to 6 were, by leave withdrawn

संशोधन संख्या 7 से 42 तक मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए
The Amendment Nos 7--42 were put and negatived

संज्ञोधन संख्या 43 और 44 मतदान के लिये रखे गये

पक्ष में

8

विपक्ष में

189

संशोधन संख्या 43-44 अस्वीकृत हुए Amendment Nos. 43-44 were negatived

संज्ञोधन संख्या 45 से 50 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 45-50 were put and negatived

संशोधन संख्या 51 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Amendment was put and negatived

संशोधन संख्या 52 से 60 तक सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The Amendments were put and negatived

संशोधन संख्या 64 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।
The amendment was, by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है कि :

That in the Resolution in Part 2 of Para 1, for "the Official Language of the Union shall be Hindi" [संघ की राजभाषा हिन्दी होगी] Substitute "the Official Language of the Union shall continue to be Hindi." [संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी] (61)

कि संकल्प में:

पैरा 1 के भाग दो में "an annual report" ["वाधिक रिपोर्ट"] के स्थान पर "an annual assessment report" ["वाधिक मूलांकन रिपोर्ट"] रखा जाये (62)

कि संकल्प के पैरा 4 में

"And, whereas it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;

This House resolves-

- (a) that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post"
- Substitute "And, whereas it is necessary to ensure that the just claims and interests of people belonging to different parts of the country in regard to the public services of the Union are fully safeguarded;

This House resolves-

(a) that compulsory knowledge of either Hindi or English shall be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts except in respect of any special services or posts for which a high standard of knowledge of English alone or Hindi alone, or both, as the case may be, is considered essential for the satisfactory performance of the duties of any such service or post".

[और जबिक यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाय;

यह सभा संकल्प करती है:

"कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों, जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाये, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिये भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा"; के स्थान पर

"िक परीक्षाओं की भावी योजना, प्रित्रया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये संविधान की आठवीं अनुसूची में सिम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमित होगी।" रखा जाय] (63)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय: अब मैं संकल्प संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि:

"संकल्प संशोधन संख्या 61, 62 और 63 द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये"
"That the Resolution, as amended by amendments Nos 61, 62, 63 be adopted"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ The motion was adopted

सदस्य की रिहाई RELEASE OF MEMBER (श्री रामगोपाल शालवाले)

अध्यक्ष महोदय: मुझे नई दिल्ली के मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से यह सूचना मिली है लोक-सभा के सदस्य श्री राम गोपाल शालवाले को संसद् भवन के बाहर 14 दिसम्बर, 1967 को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत उस दिन दोषसिद्ध किया गया और न्यायालय के उठने के समय तक कैंद्र का दंड दिया गया। उक्त सदस्य को दंड की अवधि समाप्त होने पर 16 दिसम्बर, 1967 को रिहा कर दिया गया।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 18 दिसम्बर, 1967/अग्रहायण 27, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday,

December 18, 1967/Agrahayana 27, 1889 (Saka)